राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 307/1976-77

प्रमाणित किया जाता है कि दीपशिखा कला संस्थान, जयपुर जिला जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया है।

1 यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक अठाईस माह अक्टूबर सन् एक हजार नौ सौ छिहत्तर को जयपुर में दिया गया।

(एन० एल० भटनागर)
रजिस्ट्रार संस्थाएँ, राजस्थान,
जयपुर।

राजकीय मुद्रणालय, जयपुर।

4/3/04

"दीपशिखा" (कला संस्थान) जयपुर।

विधान

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम "दीपशिखा" (कला संस्थान) जयपुर है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय अंशु भवन, पीतल फैक्ट्री, चौराहा जयपुर में रहेगा एवं तत्कालीन समिति समय समय पर जो स्थान निर्धारित करेगी वहीं रहेगा।

3. संस्था का उद्देश्य :

(अ) <u>साहित्यिक :</u>

काव्य, गद्य, कहानी, गोष्ठी, सम्मेलन, बुलाना एवं सम्बन्धित प्रकाशन करना।

(1) वाद विवाद, कहानी, कविता, नाटक संगीत कला प्रतियोगिता करवाना व प्रशिक्षण देना।

(ब) <u>सांस्कृतिक क्षेत्र में :</u>

संगीत, प्रतियोगिता करवाना, प्रशिक्षण देना, कठपुतली प्रदर्शन करना, प्रशिक्षण देना। संगीत, नाटक, नृत्य कला विधाओं का विकास, शिक्षा एवं शास्त्रिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था करना।

ख्याति प्राप्त संगीतकार नृत्यकार विद्वान का सम्मान करना व प्रदर्शन आयोजन करना।

(स) <u>ललित कला के क्षेत्र में :</u>

चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, प्लास्टिक, कला इत्यादि की प्रतियोगिता करवाना, प्रदर्शन करवाना व प्रशिक्षण देना।

(य) विविध :

ख्याति प्राप्त विद्वानों की भाषण माला आयोजित करवाना। नई प्रतिभाओं को संगीत व कला [illegible] स्टेज उपलब्ध करवाना।

(र) योग के क्षेत्र में :–

भारतीय योग प्राकृतिक चिकित्सा के सम्बन्ध में विकास कार्य करना, रुचि बढ़ाना, प्रशिक्षण संस्था स्थापित करना व चलाना।

ल) <u>शैक्षणिक क्षेत्र</u> में :–

इस संस्था का कार्य सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय (बालक या बालिकाओं), उद्योग प्रशिक्षण संस्थानों, (आई.टी. आई., पोलोटेक्निक, इंजीनियरिंग) चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान, डेन्टल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कोर्स, व शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना। शैक्षणिक व अन्य विषयों पर शोध करना।

व) <u>सेवा प्रकृति के क्षेत्र में</u> :–

समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल कल्याण की [illegible] की विभिन्न प्रवृत्तियों के लिये कार्य करना व सेवा के [illegible] सरकार व जनता के सहयोग से दुखी एवं [illegible] तथा विकलांग आदि सभी वर्गों व जातियों [illegible] की बिना भेदभाव के सेवा करना।

4. सदस्यता

(अ) कोई भी व्यक्ति जिसकी संस्था के उद्देश्यों में आस्था हो, वह इस संस्था का सदस्य बन सकता है।

(आ) संस्था की सदस्यता का शुल्क 10)रु. वार्षिक होगा जिसको आवश्यकतानुसार कार्यसमिति घटा बढ़ा सकती है।

5. सदस्यता विमोचन :

(अ) नियमित शुल्क न जमा कराने पर सदस्यता निरस्त की जा सकेगी।

(आ) बिना पूर्व सूचना के दो कार्यक्रमों (या मीटिंगों) में लगातार अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की सदस्यता निरस्त की जावेगी।

(ई) संस्था के नियमों का उल्लंघन करने अथवा संस्था विरोधी कार्यवाही में शामिल होने वाले सदस्य को भी सदस्यता से हटाया जा सकेगा।

5. ए) सम्पदा प्रबन्धन : संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थाई, अस्थाई सम्पत्ति क्रय करना, निर्माण कार्य करना व इस हेतु वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना व आवश्यकतानुसार वित्तीय संस्थानों के नियमों के अनुसार संपदा को गिरवी रखना।

6. पदाधिकारी : संस्था के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे –

1.	संयोजक	एक
2.	अध्यक्ष	एक
3	[illegible]	[illegible]
4.	कोषाध्यक्ष	एक
5	मंत्री	एक
6.	सहमंत्री	दो
7.	उपाध्यक्ष	दो

7. कार्यसमिति : (अ) कार्यसमिति में पदाधिकारियों के अलावा आठ और सदस्य होंगे। कार्यसमिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा जिसे आवश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया जा सकेगा।

(आ) कार्य समिति का चयन साधारण सदस्यों में से किया जावेगा।

8. कार्यसमिति के कर्तव्य एवं अधिकार :–

(1) समय समय पर संस्था द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की रूप रेखा बनाना।

(2) आवश्यकतानुसार उपसमितियां गठित करना।

(3) संस्था के लिए समितियां एवं उपसमिति के लिये नियम, उपनियम बनाना।

(4) बैंक आदि में खाता आदि खोलने सम्बन्धी निर्णय लेना।

(5) आय व्यय की उचित व्यवस्था बनाये रखना।

(6) वार्षिक कार्यक्रम एवं बजट आदि बनाना।

(7) आवश्यकता पड़ने पर राजकीय कार्यालयों, अदालतों के आदि के लिए जिम्मेदारी सौंपना।

(8) किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति को संस्था संरक्षक या सलाहकार मनोनित करना।

(9) अध्यक्ष के अलावा कार्यसमिति के किसी भी सदस्य के प्रति 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकेगी।

9. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :

(अ) परिषद (संस्था) के साधारण सदन तथा कार्यसमिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।

(आ) विधान के नियमों की व्याख्या करना, निर्णय देना तथा वैधानिक आपत्तियों को निपटाना।

(इ) परिषद संस्था की प्रवृत्तियों का उत्तरदायित्व निभाना।

(ई) पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति के सदस्यों को मनोनित एवं निष्कासित करना।

10. मंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य :

(1) संस्था की बैठकों का कार्य–विवरण रजिस्टर में लिपिबद्ध करना तथा अगली मीटिंग में उसकी पुष्टि करना।

(2) संस्था के कार्यों का सम्पादन करने के लिए संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

(3) संस्था की ओर से पत्र–व्यवहार करना। कार्यालय एवं फाईलों को सुरक्षित रखना।

(4) संस्था के लिए सामान खरीदना अथवा बेचना अथवा बनवाना।

(5) आवश्यकता पड़ने अस्थाई कर्मचारी रखना।

(6) वार्षिक बजट, वार्षिक कार्यक्रम एवं वार्षिक रिपोर्ट कार्य समिति में पास करवाना।

(7) मीटिंग बुलाना, सूचना निकालना, कार्यक्रम बनाना, कार्यसूचि बनाना।

(8) प्रस्ताव आदि सदन में रखना ।

(9) बजट के अनुसार बिलों और वाउचरों का भुगतान करना।

11.उपाध्यक्ष के अधिकार

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के अधिकार।

12.सहमंत्री के अधिकार :

मंत्री की अनुपस्थिति के मंत्री के अधिकार

13.कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :

अ) संस्था का विधिवत् हिसाब रखना।

ब) बजट के अनुसार मंत्री द्वारा पास किये गये बिलों का भुगतान करना।

स) संस्था का हिसाब (जाँच शुदा) वार्षिक आय व्यय का हिसाब सदन में रखना।

14.संयोजक के अधिकार एवं कर्तव्य :

यह केवल सम्मानजनक पद होगा। इसके कोई अधिकार व कर्तव्य नहीं होगें।

15.विविध

(अ) संविधान संशोधन :

कार्य समिति के 3/4 बहुमत से ही संविधान में

परिवर्तन या परिवर्धन संभव है तथा समस्त संशोधन राज.सोसा. एक्ट 1958 की धारा 12 के अनुसार होंगे।

(ब) संस्था का विघटन :
संस्था का विघटन राजस्थान सोसायटीज एक्ट 1958 की धारा नम्बर 13 और 14 के तहत होगा।

(स) सोसायटीज के रजिस्ट्रार के अधिकार :
रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज को परिषद का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। और उनके सुझावों को कार्यरूप में परिणित किया जायेगा।

हम पदाधिकारी प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त नियम उपनियम संस्था के नियमों की सही प्रति है।

अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | मंत्री

Deepshikha Kala Sanstham

(Registered Under Societies Registration Act, Bearing Registration No. 307/76-77 Dated - 25/10/76)

तुलनात्मक स्टेटमेंट निम्न प्रकार है:-

क्र. सं	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)
1	2	अंशु भवन, पीतल फैक्ट्री चौराहा, झोटवाड़ा रोड जयपुर में रहेगा।	संस्था का कार्यक्षेत्र : संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान रहेगा।
2	3	1 से 15 तक के उद्देश्य यथावत रहेंगे।	जोड़े गये उद्देश्य (अ) ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ग्रामीण विकास, ~~ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण प्रशिक्षण, ग्रामीण विकास संस्थान / कॉलेज / विश्वविद्यालय की स्थापना,~~ ग्रामीणों की सेवा के संबंधित कार्य करना।

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 की धारा 12 के तहत यह प्रमाणित किया जाता है ... पृष्ठ सं. ... तक है, की सत्यापित ... 5-12-07

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि संस्था के विधान में परिवर्तन/परिवर्धन व संशोधन संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर ....

रजिस्ट्रार, संस्थाएं जयपुर

(प्रेम सुराणा)	(चन्द्रकांत)	(टीना)
अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष

Reg. Office. : 'Anshu Bhawan', Peetal Factory Crossing, Opp. Tambi Petrol Pump, Jhotwara Road, Jaipur - 302016, (Rajasthan) Ph: (0141) - 2202684, 2206479, Fax : (0141) - 2206436 E-mail : info@deepshikha.org, Website : www.deepshikha.org

Deepshikha Kala Sansthan

(Registered Under Societies Registration Act, Bearing Registration No. 307/76-77 Dated - 28/10/

1|11|07

संस्था के कार्यकारिणी की सूची

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पता
1	श्रीमती राजकुमारी	स्व. श्री निर्मल सुराणा	संयोजक	प्लाट नं 1, मोती भवन, स्टेशन रोड, जयपुर।
2	श्री प्रेम सुराणा	स्व. श्री निर्मल सुराणा	अध्यक्ष	होटल मीनाक्षी पैलेस, पावर हाउस रोड, जयपुर।
3	श्रीमती जयश्री	श्री सी. के. दुगड़	उपाध्यक्ष प्रथम	जैन सेल्स कॉरपोरेशन, लाजपत नगर, नई दिल्ली
4	श्रीमती [illegible]	श्री राजकुमार	उपाध्यक्ष द्वितीय	4, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
5	श्री के. एन. साई	श्री आर.एन.साई	उपाध्यक्ष तृतीय	4/34, जवाहर नगर, जयपुर
6	श्री चन्द्रकांत	श्री मदन चंद	मंत्री	एफ-1, लाजपत नगर 1, नई दिल्ली
7	श्री [illegible]	श्री एन. सी. दुगड़	सहमंत्री	डी-19, लाजपत नगर 2, नई दिल्ली
8	श्रीमती [illegible]	श्री गजेन्द्र सिंह	सहमंत्री	102/9, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर
9	श्रीमती टीना	श्री अमित गुप्ता	कोषाध्यक्ष	45, शांति पथ, संजय कॉलोनी, [illegible] जयपुर
10	श्रीमती [illegible] देवी	श्री मदन चन्द	सदस्य	डी-19, लाजपत नगर 2, नई दिल्ली
11	श्री जे.आर.जैन	श्री पी.सी.जैन	सदस्य	वैभव अपार्टमेंट, प्रेम नगर, झोटवाड़ा, जयपुर
12	श्री [illegible] दुगड़	श्री हीरालाल दुगड़	सदस्य	दस्तानी मार्ग, सरदार शहर
13	श्री दीपक जैन	श्री सी.सी. जैन	सदस्य	अंशु भवन, पीतल फैक्ट्री चौराहा, जयपुर।
14	श्री मोहन चंद	श्री जौहरी लाल	सदस्य	टैगोर नगर, जयपुर
15	श्री [illegible]	श्री मूलचंद	सदस्य	एफ 46, [illegible] मार्ग, मनीपाल, जयपुर
16	श्री पवन	श्री रामकिशोर	सदस्य	3263, [illegible], जयपुर
17	श्री दिवाकर	श्री मघाराम	सदस्य	ग्राम बासनी, [illegible]
18	श्री अंशु	श्री पी.के.जैन	सदस्य	प्लाट नं 5, मोती [illegible] स्टेशन रोड, जयपुर।

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 ... के तहत

1. नकल देने की ... 3/12/07
2. नकल तैयार करने

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था की उक्त कार्यकारिणी विधिवत् चयनित है।

ATTESTED

NOTARY PUBLIC

(प्रेम सुराणा)
अध्यक्ष

(चन्द्रकांत)
मंत्री

(टीना)
कोषाध्यक्ष

Reg. Office. : 'Anshu Bhawan', Peetal Factory Crossing, Opp. Tambi Petrol Pump, Jhotwara Road, Jaipur - 302016, (Rajasthan) Ph: (0141) - 2202684, 2206479, Fax : (0141) - 2206436 E-mail : info@deepshikha.org, Website : www.deepshikha.org

DEEPSHIKHA KALA SANSTHAN

(REGISTERED UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT, BEARING REGISTRATION NO. 308/76-77 DATED 28/10/76)

Regd. Office : Sector-3, Varun Path, Mansarover, Jaipur (Rajasthan), Ph.: 0141-2390146, 4098900, Fax: 0141-2206436

तुलनात्मक स्टेटमेंट निम्न प्रकार है:–

क्र. सं	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)
1	2	अंशु भवन, पीतल फैक्ट्री चौराहा, झोटवाडा रोड जयपुर में रहेगा।	संस्था का रजिस्टर्ड कार्यालय दीपशिखा कला संस्थान का पंजीकृत कार्यालय सैक्टर नं 3, वरूण पथ, मानसरोवर मे रहेगा।

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

(प्रेम सुराणा)
अध्यक्ष

(चन्द्रकांत)
मंत्री

(टीना)
कोषाध्यक्ष

राज. संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 19 के तहत ... किया जाता है कि यह संस्था ... दाखिल कराये गये दस्तावेज की ... से पृष्ठ ... की सत्यप्रति है। ... देने की दिनांक 14.2.08 ... तैयार करने ... के हस्ताक्षर ...

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

DEEPSHIKHA
KALA SANSTHAN
www.deepshikha.org

REGISTERED UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT
BEARING REGISTRATION NO. 308/76-77 DATED 28/10/76

Ref. No.............................. Dated 11/10/14

आज दिनाक 11 अक्टूबर 2014 को दीपशिखा कला संस्थान जयपुर की साधारण सभा द्वारा विधान् मे संशोधन किया गया है उसका तुलनात्मक स्टेटमेंट निम्न है :-

तुलनात्मक स्टेटमेंट

क्रम स.	विधान की धारा	पंजीकृत विधान के पुराने नियम	विधान मे संशोधित नए जोड़ गए नियम
1.	3. संस्था का उद्देश्य :	(अ)साहित्यिक : (1) काव्य ,गद्य,कहानी, गोष्टी ,सम्मेलन ,बुलाना,एवं सम्बंधित प्रकाशन करना । (2) वाद विवाद ,कहानी ,कविता ,नाटक संगीत कला प्रतियोगिता करवाना व प्रशिक्षण देना । (ब) सांस्कृतिक क्षेत्र मे : (1) संगीत प्रतियोगिता करवाना ,प्रशिक्षण देना ,कटपुतली प्रदर्शन करना ,प्रशिक्षण देना । संगीत, नाटक, नृत्य ,कला विधाओं का विकास ,शिक्षा एवं शैक्षिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था करना । (2) ख्याति प्राप्त संगीतकार नृत्यकार विद्वान का सम्मान करना व प्रदर्शन आयोजन करना । (स) ललित कला के क्षेत्र मे : चित्रकला ,मूर्तिकला ,वास्तुकला ,प्लास्टिक कला इत्यादि की	....

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अंशु सुराणा (अध्यक्ष) | चन्द्रकांत दुग्गड (सचिव) | अमित जैन (कोषाध्यक्ष)

		प्रतियोगिता करवाना ,प्रदर्शन करवाना व प्रशिक्षण देना ।	....
		(य) विविध : ख्याति प्राप्त विद्वानो की भाषण मालाये आयोजित करवाना ।नई प्रतिभाओ को रंगमंच व कला दीर्घा व स्टेज उपलब्ध करवाना ।	....
		(र) योग के क्षेत्र मे :- भारतीय योग प्राकृतिक चिकित्सा के सम्बन्ध मे विकास कार्य करना रुचि बढाना ,प्रशिकृषण संस्था स्थापित करना व चलाना ।	....
		(ल) शैक्षणिक क्षेत्र मे :- इस संस्था का कार्य सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओ स्कूल कॉलेज , विशवविद्यालय (बालक या बालिकाओं),उदयोग प्रशिक्षण संस्थानो ,(आई.टी.आई.,पोलोटेक्निक इंजीनियरिंग) चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान ,नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान डेन्टल कॉलेज मेडिकल कॉलेज ,पैरामेडिकल कोर्स ,व शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र मे प्रशिक्षण संस्थानो की स्थापना एवं संचालन करना ।शैक्षणिक व अन्य विषयो पर शोध करना ।	....

अंशु सुराणा
(अध्यक्ष)

चन्द्रकांत दुग्गड
(सचिव)

अमित जैन
(कोषाध्यक्ष)

		(व) सेवा प्रकृति के क्षेत्र मे :- समाज कल्याण ,महिला कल्याण एवं बल कल्याण की खेल की विभिन्न प्रवृत्तियों के लिए कार्य करना व सेवा के क्षेत्र मे सरकार व जनता के सहयोग से दुखी एवं पीड़ित तथा विकलांग आदि सभी वर्गो व जातियों व धर्मों के बिना भेदभाव के सेवा करना । **(श) ग्रामीण विकास के क्षेत्र मे :-** ग्रामीण विकास ग्रामीण शिक्षा ग्रामीण प्रशिक्षण ग्रामीण विकास संस्थान कॉलेज ,विश्वविद्यालय की स्थापना ,ग्रामीण सेवा से सम्बंधित कार्य करना ।	---------- **(क) कृषि के क्षेत्र में :-** कृषि के क्षेत्र मे कृषि पशुपालन , खाद्य , प्रसंस्करण विद्यालय , कॉलेज व विश्वविद्यालय की स्थापना करना । रिसर्च कार्य करना व उनका संचालन करना । **(ख) समाज के उपेक्षित वर्ग क्षेत्र में :-** समाज के उपेक्षित वर्ग क्षेत्र मे एस. सी. / एस. टी. / अल्पसंख्यक / विकलांग , ओ. बी. सी. इत्यादि के सर्वांगीड विकास हेतु विशेष शिक्षा देना । विकास हेतु विशेष शिक्षा देना । कोचिंग सेंटर्स / कॉलेज / विश्वविद्यालय खोलना / रिसर्च कार्य करना व उनका संचालन करना ।

Anshu

अंशु सुराणा
(अध्यक्ष)

चन्द्रकांत दुग्गड
(सचिव)

Alijain

अमित जैन
(कोषाध्यक्ष)

		राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 की धारा 19 के तहत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था विषय मे दाखिल कराये गये दस्तावेज जो पृष्ठ स. 136 से पृष्ठ स. 139 तक है, की सत्यप्रति है। 1 नकल देने की दिनांक 7/1/15 2 नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर रजिस्ट्रार संस्थायें जयपुर	**(ग) अल्पसंख्यक के क्षेत्र में :-** अल्पसंख्यक के विकास हेतु सभी तरह की शिक्षण संस्थान, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कृषि, पशुपालन, बी. एस. सी., इंजीनिरिंग, पॉलिटेक्निक, मेडिसिन, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, पशुचिकित्सक व अन्य सभी तरह की मेडिकल शिक्षा खोलना। रिसर्च कार्य करना व उनका संचालन करना। **(घ)कौशल विकास के क्षेत्र में :-** कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास व राज्य कौशल विकास ऐन. सी. वी. टी., एस. सी. वी. टी. इ. व सरकारी, अर्धसरकारी व निजी क्षेत्र की इंडस्ट्री में मैन पावर विकास हेतु एम्प्लॉयमेंट हेतु व्यावसायीक शिक्षा, जीवनपयोगी शिक्षा, कौशल विकास हेतु परिशिक्षण संस्थान कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलना, रिसर्च कार्य करना व उनका संचालन करना। **(च) खेलो के क्षेत्र मे :-** खेलो (स्पोर्टस) हेतु विद्यालय ,कॉलेज ,विश्वविद्यालय ,खेल परिसरो , होस्टलो की स्थापना करना। रिसर्च कार्य करना व उनका संचालन करना।

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है की संस्था के विधान मे परिवर्तन ,परिवर्धन व संशोधन संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

अंशु सुराणा	चन्द्रकांत दुगड	अखिल जैन
(अध्यक्ष)	(सचिव)	(कोषाध्यक्ष)

Ref. No.........................

Dated 30-08-2014

List of Managing Committee/Governing Body Elected on 30-08-2014

S. No.	Name of The Members	Sex (M/F)	Father's Name	Complete Residential Address	Cast	Position Held in the Managing Committee/govern
1	Prem Surana	M	Sh. Late Nirmal Surana	Plot No. 1 To 5, Moti Bhavan, Power House Road, Behaind Hotal Meenakshi Place, Jaipur	Jain	Convenor
2	Anshu Surana	M	Prem Surana	Plot No. 8, Gaurav Nagar , Civil Lines, Jaipur	Jain	President
3	J.R.jain	M	Bal Chand Jain	Vainnave Apatment Prem Nagar Jhotwara Jaipur	Jain	Vice-President
4	Amit Jain	M	Bijay Chand Jain	B- 275, Todar Mal Marg, Bani Park, Jaipur	Jain	Treasurer
5	Chandrakant Dugar	M	Madan Chand	F-1, Lajpat Nagar - 1 New Delhi	Jain	Secretary
6	Pradeep Surana	M	Rratan Lal Surana	P. No. 67, Jain Sabha ke Pass Pilibanga (Raj.)	Jain	Joint Secretary
7	Santosh Dugar	M	Heera Lal Dugar	Dassani Marg Saradar Shahar (Churu)	Jain	Joint Secretary
8	Shubhangana	F	Prem Surana	4, Yudhishter Marg, C Scheme, Jaipur	Jain	Vice-President
9	Basant Dugar	M	Madan Chand	A-10, East Off Kailash Apartment Okhala Sabji Mandi New delhi	Jain	Vice-President
10	Anil Surana	M	Hemraj Surana	Da.-10, Housing Board, Kota	Jain	Member
11	Deepak Jain	M	Chand Kant Jain	F- 1, Lajpat Nagar New Delhi	Jain	Member
12	Sachin Bachawat	M	Sampat Bachawat	H.S. Mall Opp. GPO M.I. Road, Jaipur	Jain	Member

For Deepshikha ... Sansthan

Regd. Office : Sector 3, Varun Path, Mansarovar, Jaipur - 302 020 (Raj.)
PH : (0141) - 4098900, 8875005454, 9829867878, Fax : 0141-2206436, 8860632836
Email : info@deepshikha.org • www.deepshikha.org

Ref. No.......................... Dated..........................

13	Hans Raj	M	Mool Chand	Dassani Marg Saradar Shahar (Churu)	Jain	Member
14	Sanpat Nahata	M	Subhkaran Nahata	F. No. 205, Radhika Enkalve, 15 Doctors Colony (DCM) Ajmer Road Jaipur	Jain	Member
15	Nisha Vaid	F	Venay Vaid	Plot . No. B - 95 A, Dayanand Marg, Tilak Nagar, Jaipur	Jain	Member
16	Sonal Jain	F	R. K. Jain	Plot No. - 8, Chaitnya Vihar, 10 - B Scheme Gopal Pura By Pass Jaipur	Jain	Member
17	Aman Jain	M	Late Sugan Chand Jain	Plot no. 99,Vashundra Colony Tonk Road jaipur	Jain	Member

We the following signatories hereby declare that the above managing committee of the socity are elected as per the formal procedure on 30/08/2014

(Anshu Surana)
[illegible] दीपशिखा कला संस्थान
President
अध्यक्ष

(Chandrakant Dugar)
[illegible] दीपशिखा कला संस्थान
Secretary

(Amit Jain)
[illegible] दीपशिखा कला संस्थान
Treasurer
[illegible]

[illegible] रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958
[illegible] धारा 19 के तहत
यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था
[illegible] में दाखिल कराये गये दस्तावेज जो
पृष्ठ सं. .... से पृष्ठ सं. ....
तक है, की सत्यप्रति है।
1 नकल देने की दिनांक 7/10/14
2 नकल तैयार करने
वाले के हस्ताक्षर ....
रजिस्ट्रार संस्थायें
जयपुर

Regd. Office : Sector 3, Varun Path, Mansarovar, Jaipur - 302 020 (Raj.)
PH : (0141) - 4098900, 8875005454, 9829867878, Fax : 0141-2206436, 8860632836
Email : info@deepshikha.org • www.deepshikha.org